

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अवेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एक 7(2) (2) राछा./सान्याअवि/19/

35828

जयपुर, दिनांक:

19/06/19

आदेश

विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यालय स्तरीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की अन्तिम तिथि 18 जून, 2019 एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की अन्तिम तिथि 30 जून, 2019 रखी गई थी।

राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों प्रवेश की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान प्रवेश में कमी को देखते हुये राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि विद्यालय स्तरीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की अन्तिम तिथि 18 जून, 2019 को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2019 एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की अन्तिम तिथि 30 जून, 2019 से बढ़ाकर 25 जुलाई, 2019 किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(सांवर मूल वर्ग) 4

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक :- एक 7(2) (2) राछा./सान्याअवि/19/

प्रतिलिपि :-

35829-91

19-06-19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त).....।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (एछात्रवृत्ति एवं छात्रावास), मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक (देवनाशयण), मुख्यावास।
7. उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
8. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर निवेदन है कि वे उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट एवं प्रवेश पोर्टल पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
10. प्रधानचार्य, आवासीय विद्यालय (समस्त).....।
10. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
11. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
11. आदेश पत्रावली।

36

(ओम प्रकाश राहड़)
सहायक निदेशक (छात्रावास)